

ज़मानती बॉण्ड

प्रलिस के लयः

ज़मानती बॉण्ड, आईआरडीआई ।

मेन्स के लयः

ज़मानती बॉण्ड और बुनयादी ढाँचे के वक़ास को बढावा देने में इसकी भूमक़ा ।

चरचा में क्यौं?

हाल ही में [बजट 2022-23](#) में सरकार ने सरकारी खरीद और सोने के आयात के मामले में बैंक गारंटी के वक़िल्प के रूप में ज़मानत बीमा बॉण्ड (Surety Insurance Bonds) के उपयोग की अनुमतादी है ।

- भारतीय बीमा नयामक और वक़ास प्राधक़रण (IRDAI) ने भी भारत में 'स्योरटी इंश्योरेंस बज़़िनेस' (Surety Insurance Business) के वयवस्थति वक़ास को सुनश्चिति करने हेतु अंतमि दशिया-नरिदेश जारी कयि हैं ।
- 1 अप्रैल, 2022 से IRDAI (ज़मानत बीमा अनुबंध) दशिया-नरिदेश, 2022 प्रभावी होंगे ।

Lower Indirect Costs

The government aims to promote surety bonds as a substitute to bank guarantees in government procurements

This would help reduce indirect costs for suppliers and work contractors



IRDAI has said insurers can offer six types of sureties

- Advance Payment Bond
- Bid Bond
- Contract Bond
- Customs and Court Bond
- Performance Bond and Retention Money



Experts said the move may benefit insurers, but its success depends on the acceptance & the costs

ज़मानती बॉण्ड:

- ज़मानती बॉण्ड एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है जिसमें तीन पक्षों द्वारा दर्ज किया जाता है- मुख्य, बाध्यकारी और ज़मानती।
 - बाध्यकारी पक्ष आमतौर पर एक सरकारी संस्था होती है, जिसको भविष्य के कार्य प्रदर्शन के खिलाफ गारंटी के रूप में ज़मानती बॉण्ड प्राप्त करने के लिये आमतौर पर एक व्यवसाय के मालिक या ठेकेदार की आवश्यकता होती है।
- ज़मानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्तृताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके वकिलों में विधिगत लाने व बैंक गारंटी के वकिलों के रूप में कार्य करता है।
- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना प्रदान कर रही है।
- ज़मानती बॉण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतरनहिती दायित्वों से वंचित करते हैं। वे निर्माण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपक्रमों तक विभिन्न दायित्वों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।

बजट में लिये गए नरिणय:

- एक नई अवधारणा के रूप में ज़मानती बॉण्ड काफी जोखिम भरा होता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिम मूल्यांकन में विशेषज्ञता हासिल नहीं हुई है।
- इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डिफॉल्टिंग ठेकेदारों के विरुद्ध उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा वकिलों पर कोई स्पष्टता नहीं है।
 - ये काफी महत्वपूर्ण विषय हैं और ज़मानत से संबंधित विशेषज्ञता एवं क्षमताओं के निर्माण में बाधा डाल सकते हैं तथा अंततः बीमाकर्तृताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

यह अवसंरचना परियोजनाओं को किस प्रकार बढ़ावा देगा?

- ज़मानती अनुबंधों के लिये नियम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- ज़मानती बीमा व्यवसाय, निर्माण परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के वकिलों को विकसित करने में सहायता करेगा।
 - यह कार्यशील पूंजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और निर्माण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक की आवश्यकता को कम करेगा।
- जोखिम संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्तृता वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे।

◦ इसलिये यह जोखिम पहलुओं पर समझौता किये बिना बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

ज़मानती बॉण्ड पर IRDAI दिशा-निर्देश

- नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियों अब बहुप्रतीक्षित ज़मानती बॉण्ड लॉन्च कर सकती हैं।
- IRDAI ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष में सभी निश्चित बीमा पॉलिसियों के लिये लिया गया प्रीमियम, उन नीतियों हेतु बाद के वर्षों में सभी कश्तों सहित उस वर्ष के कुल सकल लिखित प्रीमियम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, जो कि अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है।
- **भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण** (IRDAI) के अनुसार, बीमाकर्त्ता ज़मानती बॉण्ड जारी कर सकते हैं, जो सार्वजनिक संस्था, डेवलपर्स, उप-अनुबंधकर्त्ता और आपूर्तिकर्त्ताओं को आश्वासन देते हैं कि ठेकेदार परियोजना शुरू करते समय अपने संवदात्मक दायित्व को पूरा करेगा।
 - **अनुबंध बॉण्ड** में बोली बॉण्ड, प्रदर्शन बॉण्ड, अग्रिम भुगतान बॉण्ड और प्रतधारण राशि शामिल हो सकती है।
 - **बोली बॉण्ड:** यह एक उपकृत को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदि बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज़ों के अनुसार एक अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है।
 - **प्रदर्शन बॉण्ड:** यह आश्वासन प्रदान करता है कि यदि प्रसिपिल या ठेकेदार बंधुआ अनुबंध को पूरा करने में विफल रहता है तो उपकृत की रक्षा की जाएगी। यदि उपकृतकर्त्ता प्रसिपिल या ठेकेदार को डिफॉल्ट घोषित करता है और अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो यह ज़मानत प्रदाता को बॉण्ड के तहत ज़मानत के दायित्वों को पूरा करने के लिये कह सकता है।
 - **अग्रिम भुगतान बॉण्ड:** यदि ठेकेदार वित्तिदेशों के अनुसार, अनुबंध को पूरा करने में या अनुबंध के दायरे का पालन करने में विफल रहता है, तो यह ज़मानत प्रदाता द्वारा अग्रिम भुगतान की बकाया राशि भुगतान करने का वादा है।
 - **प्रतधारण राशि:** यह ठेकेदार को देय राशि का एक हिस्सा है, जिससे अनुबंध के सफल समापन के बाद अंत में बनाए रखा जाता है और देय होता है।
- गारंटी की सीमा अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- ज़मानत बीमा अनुबंध केवल **वशिष्ट परियोजनाओं के लिये जारी किये जाने चाहिये और कई परियोजनाओं के लिये संयोजित नहीं** किये जाने चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/surety-bonds>

